कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–1)
उ0प्र0, इलाहाबाद

पत्रांक–ए0एम0जी0–II (E-i) / ले0प0प्र0सं0 / 13 / 2021–22 / 52
दिनांक– 28-03-2022

सेवा मे,

वित्त नियत्रंक / कोषाध्यक्ष
दयालबाग शिक्षा संस्थान
दयालबाग आगरा

विषयः–नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य अधिकार एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराना है कि कार्यालय वित्त नियत्रंक / कोषाध्यक्ष, दयालबाग शिक्षा संस्थान, दयालबाग आगरा के वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा दिनांक 21.02.2022 से 08.03.2022 तक सम्पादित किया गया। उक्त इकाई के जाँच से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को इस आशय के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इसकी अनुपालन आख्या भाग–2 (अ) की शासन एवं भाग–2 (ब) की उच्चतर अधिकारी के अनुशंसा के साथ प्राप्ति तिथि के एक माह के अंदर कार्यालय को प्रेषित कर देवें।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे ऑडिट आपत्ति से संबधित **भाग–2 (अ) के 02 प्रस्तर** एवं **भाग–2 (ब) के 09 प्रस्तर** सम्मिलित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

28.03.2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0–II/ ई–(i)

पत्रांक– ए0एम0जी0–II (E-i) / ले0प0प्र0सं0 / 13 / 2021–22 / दिनांक–

1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ–226001 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0–II/ ई–(i)

डी0ई0आई0 लेखा वि0
आ0 सं0 223
2022
लेखाकार
कोषा0
स0 कुलसचिव

उत्तर समय से प्रेषित करें। तुरन्त remarks प्राप्त करें।
12/5.22

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय वित्त नियंत्रक/कोषाध्यक्ष दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड वि0वि0) आगरा के वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री इन्द्रजीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पीयूष कुमार द्वारा श्री अखिलेश चन्द्र त्रिपाठी, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.02.2022 से 08.03.2022 तक सम्पादित की गई।

निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय वित्त नियंत्रक/कोषाध्यक्ष दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड वि0वि0) आगरा द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। निरीक्षित इकाई द्वारा प्रदत्त गलत सूचना और/अथवा अप्रदत्त सूचना के संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–1) उत्तर प्रदेश प्रयागराज का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

भाग–प्रथम 'अ' (परिचयात्मक)

1. कार्यालय वित्त नियंत्रक/कोषाध्यक्ष दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड वि0वि0) आगरा के वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री एस.के.राय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री अश्वनी कुमार, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.07.19 से 07.08.19 तक सम्पादित की गई। वर्तमान लेखापरीक्षा में वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक के लेखों की जांच की गयी।
2. प्रशासनिक विभाग का नाम जिससे इकाई सम्बद्ध है: उच्च शिक्षा।
3. इकाई की श्रेणी: स्वायत्त निकाय
4. डी0पी0सी0 (एक्ट) की धाराएं जिसके अन्तर्गत इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। धारा–14
5. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं कार्यकाल:.

क0सं0	नाम एवं पदनांम	कार्यकाल
1.	प्रो0 पी0के0 कालरा, निदेशक	विगत सम्प्रेक्षा से अब तक

6. विगत लेखापरीक्षा से अब तक (माह 02/2022) आहरण वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी के नाम एवं कार्यकाल:

क0सं0	नाम एवं पदनांम	कार्यकाल
1.	श्रीमती स्नेह बिजलानी, कोषाध्यक्ष	विगत सम्प्रेक्षा से अब तक

7. इकाई की विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि की वित्तीय स्थिति:–आबंटन एवं व्यय (रू0 लाख में)

क0स0	विवरण	2018-19	2019-20	2020-2021
1	प्रारम्भिक अवशेष	1459.50	1660.23	552.51

2	प्राप्तियॉ			
	i- केन्द्रांश	6141.03	5498.90	5111.99
	ii.राज्यांश	2288.10	1932.82	2015.21
	iii. अन्य श्रोत से	290.85	329.96	258.12
3	**कुल योग**	**10179.48**	**9421.91**	**7937.83**
4	कुल व्यय	8519.25	8869.40	7673.99
5	अन्तिम शेष	**1660.23**	**552.51**	**263.84**

8. विगत तीन वर्षों में अर्जित राजस्व एवं व्यय (रू0 लाख में)–शून्य

कमांक	वर्ष	प्राप्ति की मदें	लेखाशीर्ष	धनराशि प्राप्त	धनराशि व्यय
		पूॅजीगत योजनागत आयोजनेत्तर राजस्व योजनागत आयोजनेत्तर कर गैर–कर राजस्व शुल्क प्रभार उपकर उपयोगकर्ता प्रभार अन्य प्राप्तियां–जैसे किराया आदि			
	2018–19			शून्य	
	2019–20				
	2020–21				

9. लेखापरीक्षा अवधि में इकाई में निम्नानुसार मानव शक्ति उपलब्ध थी:

संवर्ग	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी/ आधिक्य	कमी के प्रकरण में रिक्त रहने की अवधि (माह में)
Director	01	01	00	
Registrar	01	01	00	
Treasurer	01	01	00	
Teaching Staff (Post financed by UP State Govt)	102	75	27	
Teaching Staff (Post financed by UGC)	229	188	41	
Non-teaching staff	297	278	19	

10. पर्यावरण से संबंधित सूचना निम्नवत् थी।

कम सं0	मदों के नाम जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है	वातावरण कितना प्रभावित है (इकाई प्रतिशत)	टिप्पणी

1	वायु	शून्य
2	जल	
3	जमीन	
4	ध्वनि	
5	बैटरीज	
6	प्लास्टिक	
7	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट	
8	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता–ऐसे चिकित्सालयों में जहां कोबाल्ट मशीनें प्रयोग में लायी जाती है।)	––शून्य––
9	परमाणु चिकित्सा–रेडियाधर्मी	

11. सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा (आई0 टी0 लेखापरीक्षा) रू0 लाख में

क्रम सं0	विवरण	मात्रा	मूल्य (लाख में)	टिप्पणी
1	हार्डवेयर	1308	731.04	
2	साफटवेयर	357	183.66	
3	नेटवर्किंग	140	38.2309	
4	आई0टी0 अनुप्रयोगों	09	1.46	
5	आर डी0बी0एम0एस0 डाटा बैंक	–		
6	लेखापरीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण–विभागों में ई0–निविदा, यातायात गणना	–		

12. केंद्रीय/केन्द्र पुरोनिधानित/राज्य/वाहय सहायतित योजना/कार्यक्रम की स्थिति निम्नवत थी:–

वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	स्वीकृतियाँ	आवंटन	व्यय
2019–20		OH 31&35		588.62	909.79
2020–21		OH 31&35		2.99	302.98

13. फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति निम्नवत थी:–

वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	स्वीकृतियाँ	आवंटन	व्यय
2019–20		OH 31&35		676.70	899.10
2020–21		OH 31&35		573.27	295.69

भाग–प्रथम (ब)

1. राजस्व से संबंधित अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नवत थी:

प्रतिवेदन सं0	वर्ष	प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तर अनिस्तारित रहने का कारण
––शून्य––				

2. लेखापरीक्षा के दौरान निस्तारण हेतु प्रस्तावित प्रस्तरों की स्थिति: शून्य

प्रतिवेदन सं0	वर्ष	प्रस्तर सं0	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण

भाग प्रथम (स)

1. अप्रस्तुत अभिलेख:

विगत लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण	वर्तमान लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण	विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत अभिलेखों की वर्तमान लेखापरीक्षा में भी अप्रस्तुत रहने का कारण
धनराशि का अवरूद्ध रखा जाना रू0 200.07 लाख।	विगत लेखापरीक्षा प्रविवेदनों की आख्या व विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत अभिलेख	उपलबध न कराया जाना

2. सतत अनियमिततायें: शून्य

3. निर्गत लेखापरीक्षा ज्ञापों पर इकाई की टिप्पणी की स्थिति:–

लेखापरीक्षा ज्ञाप कम संख्या	निर्गत तिथि	पृष्ठ संख्या.. ....से.......... ....तक	टिप्पणियों की स्थिति		
			क्या समस्त बिन्दुओं पर टिप्पणियां प्राप्त हैं ''हॉ'' या ''नहीं'' लिखें	यदि आंशिक टिप्पणियां प्राप्त हैं तो जिन बिन्दुओं पर टिप्पणियां प्राप्त नहीं हैं उनका उल्लेख करें	टिप्पणियों के अप्राप्त रहने का कारण
01 से 140	21.02.2022 से 08.03.2022	01 से 140	हॉ		

4. इकाई के साथ प्रारम्भिक बैठक (इन्ट्री कान्फ्रेन्स)/समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस) किये जाने की स्थिति:

बैठक	दिनांक	बैठक न होने का कारण
प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेंस)	21.02.2022	
समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस)	08.03.2022	

भाग–2 (अ)

प्रस्तर–1 : जिम्नेजियम में जिम सम्बन्धी उपकरणों को कय करके स्थापित न किए जाने से भवन निर्माण कार्य पर अलाभकारी व्यय– रू0 118.31 लाख।

Development of Sports Infrastructure and Equipments for the XIIth Plan Period (2012-17) योजना के अन्तर्गत, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा में मल्टीपरपज जिम्नेजियम के भवन का निर्माण किया जाना था तथा उस भवन में जिम सम्बन्धी निम्नलिखित उपकरणों की स्थापना की जानी थीः

कम संख्या	उपकरण का नाम	मदों की इकाई	संख्या
1	Parellel Bar (Olympic fibre and wooden laminated for antiskid)	Set	1
2	Wall Bar per section (Hard wood with wooden stairs)	Section	1
3	Balacing Beam (5M length and adjustable height)	Set	1
4	Wrestelling Mats 16M X 16M (128 pieces)	Set	1
5	Multi-Gym 24 station (14 wt station + 10 wt station) 2" X 2" strctures	Set	1
6	Table Tennis Tables (Stag)	Set	2
7	Cricket side screen (Portable and movable for both side)	Set	1

मल्टीपरपज जिम्नेजियम के भवन निर्माण हेतु दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा प्रेषित प्राक्कलन रू0 148.55 लाख के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–2/2014 (स्पोर्ट्स पालिसी) दिनांक 30.01.2015 के द्वारा रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि इससे अधिक की धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से वहन की जाएगी। उक्त के सापेक्ष इंस्टीट्यूट ने कुल रू0 11831426.00 की धनराशि व्यय करके मल्टीपरपज जिम के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। यह निर्माण कार्य दिनांक 14.09.2019 को पूर्ण हुआ। सितम्बर 2019 से अब तक, लगभग 2 वर्ष 5 माह बाद भी उक्त भवन को उपयोग में नहीं लाया जा सका है, क्योंकि इसमें स्थापित होने वाले उपकरणों का कय

अभी तक नहीं किया जा सका है। इस प्रकार, भवन निर्माण में उक्त व्यय धनराशि रू0 118.31 लाख अद्यतन अलाभकारी है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि उपकरणों /मशीनों के क्रय हेतु प्रस्ताव यू0 जी0 सी0 को भेजा गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। इस भवन में संचालित होने वाली/संचालित की गयी गतिविधियों के सम्बन्ध में आडिट की पृच्छा पर इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि बिना उपकरणों/मशीनो को स्थापित किए उक्त निर्माण कार्य अलाभकारी है तथा इसका लाभ छात्र छात्राओं को प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः जिम्नेजियम में जिम सम्बन्धी उपकरणों को क्रय करके स्थापित न किए जाने से भवन निर्माण कार्य पर रू0 118.31 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग–2 (अ)

प्रस्तर–2(क) : TEQUIP योजना के अन्तर्गत कय उपकरणों/सामग्रियों को संस्थान के तुलनपत्र में सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित न किया जाना (understatement of assets)– रू0 579.82 लाख

TEQUIP (Technical Education Quality Improvement Programme) योजना के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थानों को निधियॉ प्रदान की जाती है। दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 से संस्थान में TEQUIP -III योजना के अन्तर्गत TEQUIP Fund के रूप में तुलनपत्र में शीर्ष खोला गया है तथा इसके लिए चार बैंक खाते खोले गए है, जिनमें इंस्टीट्यूट अपने स्रोतों से धनराशियॉ प्रावधानित करता है। वर्ष 2020–21 के अन्त तक उक्त मद में रू0 2562113.00 की धनराशि का प्रावधान हो चुका था। इस धनराशि का उपयोग प्रोजेक्ट पीरियड की समाप्ति के उपरान्त विकासात्मक गतिविधियों के संचालन एवं उपकरणों/सामग्रियों के रखरखाव पर व्यय किया जाना है। अग्रेतर, यह पाया गया कि भविष्य में उपकरणों/सामग्रियों के रखरखाव हेतु अपने स्रोतों से निधियों का प्रावधान तो तुलनपत्र में किया गया है, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत कय किए गए रू0 5,79,81,822.00 मूल्य के उपकरणों/सामग्रियों को संस्थान के तुलनपत्र में शामिल नही किया गया है। इस प्रकार संस्थान के तुलनपत्र में रू0 579.82 लाख की सम्पत्तियॉ कम प्रदर्शित हैं अर्थात संस्थान के तुलनपत्र में सम्पत्तियॉ understated है एवं संस्थान का लेखा संस्थान की वित्तीय स्थिति का सही एवं स्पष्ट चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहा है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि ये उपकरण 01.04.2017 से 30.09.2021 के मध्य कय किए गए है। तुलनपत्र में शामिल न करने के सम्बन्ध में बताया कि इनके कय हेतु संस्थान को धनराशि या ग्रान्ट नही दी गयी है, बल्कि PFMS द्वारा सेन्ट्रल पूल से भुगतान किया गया है।

इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य नहीं है क्योकि उक्त उपकरणों के कय हेतु धनराशि संस्थान के बैंक खाते में भले न प्राप्त हुई हो, परन्तु इन उपकरणों के कय हेतु भुगतान की गयी धनराशि संस्थान हेतु TEQUIP -III योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही है। अतः ये उपकरण संस्थान की सम्पत्ति हैं तथा इसे संस्थान को अपनी सम्पत्तियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, यह भी उचित नहीं है कि उपकरणों को तो संस्थान ने अपनी सम्पत्तियों में नहीं शामिल किया, जबकि उन उपकरणों के रखरखाव हेतु निधियों का प्रावधान अपने तुलन पत्र में प्रारम्भ से ही कर लिया गया।

अतः TEQUIP योजना के अन्तर्गत रू0 579.82 लाख के कय उपकरणों/सामग्रियों को संस्थान के तुलनपत्र में सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित न किया जाने (understatement of assets) से इकाई के लेखे में सम्पत्तियों से सम्बन्धित सही एवं स्पष्ट चित्र न प्रदर्शित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–2 (अ)

प्रस्तर–2(ख) : वर्ष 2019–20 के तुलनपत्र में शासकीय अनुदान से सृजित सम्पत्तियों का मूल्य कम प्रदर्शित किया जाना (understatement of assets)– रू0 118.31 लाख

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के तुलनपत्र एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि Source of funds के कैपिटल फण्ड मद में वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के अन्त में रू0 990389108.70 एवं रू0 1031852296.70 प्रदर्शित है। वर्षान्त के उक्त अवशेष में सम्बन्धित वर्षो मे Net capital Additions- Out of Govt. Grants मद के अन्तर्गत क्रमशः रू0 106948037.78 एवं रू0 28065994.00 की धनराशि शामिल है। अर्थात तुलनपत्र के अनुसार शासकीय अनुदान से सृजित सम्पत्तियॉ वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में क्रमशः रू0 10,69,48,037.78 एवं रू0 2,80,65,994.00 की थीं। परन्तु, तुलनपत्र के साथ संलग्न शिड्यूल–4 के एनेक्सर–सी (Details of assets created during the year) के अनुसार उक्त वर्षो में सृजित सम्पत्तियॉ क्रमशः रू0 11,87,79,463.78 एवं रू0 2,80,65,994.00 की थी। विवरण निम्नवत है:

Sl. No.	Items	2020-21	2019-20		
		UGC(M)	UGC(M)	DDU/OBC	Total
1	Buildings	0.00	11831426.00	0.00	11831426.00
2	Rennovation Of building	1226507.00	8218941.00	0.00	8218941.00
3	Plant and Machinery	519331.00	18247873.00	0.00	18 247873.00
4	Science Lab Equipments	13772361.00	34976942.78	14898584.00	49875526.78
5	Sports Equipments	534240.00	59889.00	628940.00	688829.00
6	Intangible assets comp. software	968063.00	623700.00	0.00	623700.00
7	Vehicle	1511521.00	0.00	0.00	0.00
8	Furniture fixture	1423789.00	2447151.00	406059.00	2853210.00
9	Offfice equipment	6251.00	116245.00	0.00	116245.00
10	Comp. peripheral	6580922.00	18131916.00	0.00	18131916.00
11	Electric Installation	1095655.00	0.00	0.00	0.00
12	Liabrary Books	427354.00	2381956.00	0.00	2381956.00
13	Other Fixed Assets	0.00	1725285.00	3386785.00	5112070.00
14	Capital works in progress	0.00	697771.00	0.00	697771.00
	Total	**28065994.00**	99459095.78	19320368.00	**118779463.78**

स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 के तुलनपत्र में शासकीय अनुदान से सृजित सम्पत्यिों का सही मूल्य प्रदर्शित किया गया था, परन्तु वर्ष 2019–20 में उक्त सम्पत्यिॉं रू0 1183142.00 (11,87,79,463.78 – 10,69,48,037.78) की धनराशि से कम प्रदर्शित थीं। इस प्रकार, वर्ष 2019–20 में शासकीय अनुदान से सृजित सम्पत्तियॉ कम मूल्यांकित

(understated) थीं तथा इकाई का लेखा सम्पत्तियों के सन्दर्भ में सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं कर रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि की एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत एवं संलग्न बताया। सम्पत्तियों के कम प्रदर्शित किए जाने के सम्बन्ध में कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि किए जाने तथा उसी तुलनपत्र के विवरण को पुनः उपलब्ध कराया जाना आडिट आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

अतः वर्ष 2019–20 में शासकीय अनुदान से सृजित सम्पत्तियों को रू0 118.31 लाख की धनराशि से तुलनपत्र में कम प्रदर्शित किए जाने तथा इकाई के लेखे में सम्पत्तियों से सम्बन्धित सही एवं स्पष्ट चित्र न प्रदर्शित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर–1: तकनीकी स्वीकृति की विस्तृत जॉच किये बिना ही निर्माण कार्य के आगणन की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य के विभिन्न कार्यदों पर संस्तुति आगणन से 20 प्रतिशत से अधिक कार्य कराकर रू0 52.89 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–6 के प्रस्तर–318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही है तथा आगणन की गणनाये सटीक एवं समुचित आकंड़ो पर आधारित हैं। वित्तीय औचित्य का आधारभूत विषय है कि कार्य का निष्पादन इस प्रकार किया जाये कि संसाधनों के न्यूनतम उपभोग द्वारा अधिकतम संभाव्य परिणाम प्राप्त हो सके।

दयालबाद शिक्षण संस्थान (डिम्ड विश्वविद्यालय), आगरा में Construction of Lecture Hall Complex-School of Education के निर्माण हेतु रू0 7.50 करोड़ (जिसमें रू0 5.00 करोड़ निर्माण कार्य (civil) एवं 2.50 करोड़ आधारभूत संरचना (infrastructure)) की स्वकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था/ठेकेदार मै0 डी0के0 लवानिया कान्ट्रक्शन तथा सप्लाई, आगरा को कार्यादेश सं0 DEI/Works/2019-20/01 दिनांक 06.08.2019 को निर्गत किया गया था। विभाग द्वारा लेक्चर हाल काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रू0 490.56 लाख की निविदा दर पर स्वीकृत प्रदान की गयी।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के विस्तृत आगणन में पाया गया कि दिल्ली दर अनुसूची (डी. एस.आर) के दर विश्लेषण के आधार पर मदवार लागत का निर्धारण किया गया था एवं ठेकेदार/कार्यदायी संस्था को अन्तिम भुगतान वाउचर के अनुसार निर्माण कार्य पर रू0 44019839.00 कुल सम्पादित कार्य पर भुगतान किया गया था।

प्रश्नगत कार्य के विस्तृत आगणन के abstract of cost में आगणित मात्रा के सापेक्ष निर्माण कार्य पर कार्य मदों पर 20 प्रतिशत से अधिक मात्रा सम्पादन करके रू0 50.85 लाख (संलग्नक–अ) का अधिक भुगतान किया गया था।

तकनीकी स्वीकृति की विस्तृत जॉच किये बिना ही निर्माण कार्य के आगणन की संस्तुति किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य के विभिन्न कार्यदों पर संस्तुति आगणन से 20 प्रतिशत से अधिक कार्य कराकर रू0 52.89 लाख का अनियमित व्यय किया गया था–

(रू0 लाख में)

1.	प्रारम्भिक दर अन्तर	50.85
2.	जोडें 3 प्रशितन कंटिन्जेन्सी	1.52
3.	योग	52.37
4	जोड़े 1 प्रतिशत लेबर सेस 3 पर	0.52
5	**कुल योग**	**52.89**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि टेण्डर में variation and adjustment clause है। जिसके कारण Providing of grills आइटम सं0–18, Painting on Rain water paper आइटम सं0–27–ब एवं Providing and fixing mangalore tiles आइम संख्या–30 इत्यादि मदों के स्पेशिफिकेशन में परिवर्तन करके कार्य कराया गया।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नही है क्योकि विस्तृत आगणन, भुगतान वाउचर तथा माप पुस्तिका में इस प्रकार का कोई परिर्वतन किये बिना ही भुगतान किया गया एवं विभिन्न आइटमों के स्पेशिफिकेशन में परिवर्तत हेतु तकनीकी स्वीकृति भी नही प्राप्त किया गया था।

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य में विस्तृत आगणन के abstract of cost में आगणित मात्रा के सापेक्ष निर्माण कार्य पर कार्य मदों पर 20 प्रतिशत से अधिक मात्रा सम्पादन करके रू0 50.85 लाख का अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रश्नगत कार्य पर विभिन्न मदों में अधिक कार्य सम्पादन का विवरण (संलग्नक–अ)

...n ...no.	Item description	unit	Bill of quantity	Quantity executed as Final Bills	Difference excess qty executed	Rate allowed	Excess payment	excess qty in percent
1	Excavation for foundations	cum	2039.42	2673.17	633.75	100.8	63882	31%
6	Filling sides of foundations from available excavated earth.	cum	1313.04	1991.86	678.82	134.4	91233.41	51%
7(a)	Centering and shuttering for : footings	sqm	437.36	613.07	175.71	201.6	35423.14	40%
7(d)	Slabs.	sqm	2875.36	4313.11	1437.75	392	563598	50%
16(b)	Supplying and fixing of floor tiles in toilet	sqm	318.27	398.85	80.58	810	65269.8	25%
17(b)	Providing and fixing "panelled and glazed" 35mm thick 2nd class teak wood shutters for wind, skylight, vent (i) Frame cost	sqm	46.11	114.27	68.16	2400	163584	147%
18	Providing grills of approved design	kg	429.8	3837.22	3407.42	85	289630.7	792%
22(d)	Ruled Pointing (1:2) on apron	sqm	237.2	663.15	425.95	134.4	57247.68	179%
23(a)	Finishing of interior walls: Appling water based cement primer in two or more coats. (qty as per plaster on ceiling and wall)	sqm	10372.27	13975.6	3603.33	44.8	161429.2	34%
25(a)	Finishes for Wood Work: Applying primer coat with ready made wood primer	sqm	1194.7	1453.72	259.02	33.6	8703.072	21%
25(b)	Painting with synthetic enamel, two or more coats on wood work	sqm	1194.7	3025.31	1830.61	89.6	164022.7	153%
27(b)	Painting on rain water pipes with red wxide zinc chromate primer.	sqm	315.21	1758.6	1443.39	39.2	56580.89	457%
28	Structural Steel work for trusses	sqm	31571	55801.84	24230.84	92	2229237	76%
30	Providing and fixing Mangalore tiles	sqm	341.84	1712.29	1370.45	246.4	337678.9	400%
31	Providing and fixing insulating board ceiling of approved quality	sqm	341.84	1066.94	725.1	1100	797610	212%
						Total	5085131	

भाग–2 (ब)

प्रस्तर–2: निर्माण कार्य पर लेबर सेस रू0 5.25 लाख का अधिक भुगतान एवं ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. रू0 11.82 लाख कम जमा किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम GFR रूल 21(i) के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा ग्राफ–12 के अनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह लोक धन से होने वाले व्यय के सम्बन्ध में उसी सतर्कता का प्रयोग करेगा जैसा कि साधारण विवेक का व्यक्ति स्वयं के धन व्यय में करता है।

दयालबाद शिक्षण संस्थान (डिम्ड विश्वविद्यालय), आगरा में Construction of Lecture Hall Complex-School of Education के निर्माण हेतु रू0 7.50 करोड़ (जिसमें रू0 5.00 करोड़ निर्माण कार्य (civil) एवं 2.50 करोड़ आधारभूत संरचना (infrastructure)) की स्वकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। विभाग द्वारा लेक्चर हाल काम्लेक्स के निर्माण हेतु मै0 डी0के0 लवानिया कान्ट्रक्शन तथा सप्लाई, आगरा को रू0 490.56 लाख की निविदा दर पर स्वीकृत प्रदान की गयी। अन्तिम भुगतान वाउचर के अनुसार निर्माण कार्य पर रू0 44019839.00 कुल सम्पादित कार्य पर भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि सिविल कार्य के मदो में दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट (DSR-206) के दर विश्लेषण के आधार पर मदवार लागत का निर्धारण किये गये थे। विस्तृत आगणन एवं भुगतान वाउचर के जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य पर जी0एस0टी0 12 प्रतिशत को शामिल नही किया गया था। जबकि सिविल कार्य के मदो में दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट (DSR) के दर विश्लेषण मे वैट 04 प्रतिशत सम्मिलित था। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार शैड्यूल आर्फ रेट्स (Schedule of Rates) में सभी प्रकार की मदों में किसी प्रकार के टैक्स या जी.एस.टी. का समावेश नही किया जाना था।

(रू0 लाख में)

1.	प्रायोजना की लागत 3 प्रतिशत कंटिन्जेसी सहित	453.40
2.	10 प्रतिशत कान्ट्रेक्टर प्राफिट कम करने पर लागत रू0 453.40X100/110	412.18
3	4 प्रतिशत वैट कर को कम करें रू0 412.18 X100/104	396.32
4	**वैट की धनराशि (2–3)**	**15.86**
5	प्रायोजना की लागत (वैट को छोड़कर)	396.32
6	जोड़ लेबर सेस 1 प्रतिशत	3.96
	कुल योग	400.28
	कुल देय जी.एस.टी.	**48.03**

प्रश्नगत निर्माण कार्य के विस्तृत आगणन, दर अनुबन्ध एवं भुगतान वाउचर में किये गये भुगतान में निम्न कमिया पायी गयीः–

1. दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट (DSR-2016) के दर विश्लेषण मे वैट 04 प्रतिशत सम्मिलित थी। अतः मई 2019 में जी.एस.टी. लागू होने के कारण समस्त सामग्री की दरों से इक्साइज ड्यूटी, वैट को हटाते हुए आइटम वाइज दरें निकालनी चाहिए थी, क्योकि जी. एस.टी. में सभी कर शामिल कर लिए गये थे। इस प्रकार जी.एस.टी. को शासनादेश के अनुसार प्राविधानित प्रायोजना की लागत में वैट की धनराशि रू0 15.86 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को अधिक भुगतान किया गया।
2. दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने पश्चात् कार्यो की कुल आंकलित लागत में निर्धारित जी.एस.टी., जो कि वर्तमान में 12 प्रतिशत है, के अनुसार प्राविधानित किया जाना था। इस प्रकार जी.एस.टी. रू0 48.03 लाख का आगणन में प्राविधान नही किया गया। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान रू0 338002, रू0 428265, रू0 519637 एवं रू0 748924 इस प्रकार कुल रू0 2034828.00 का भुगतान किस प्रकार किया गया। इस प्रकार कुल रू0 11.82 लाख का कम भुगतान किया गया था।
3. कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेबर सेस का भुगतान चेक दिनांक 03.09.2016 को प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 921115.00 का भुगतान किया गया था, जबकि उपरोक्त विवरणानुसार मात्र रू0 3,96,000.00 का भुगतान किया जाना था। अतः लेबर सेस के रूप में रू0 525115.00 का अधिक भगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि लेबर सेस रू0 525115.00 की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी। जी.एस.टी. के सन्दर्भ में उत्तर दिया कि ठेकदार द्वारा जी.एस.टी. रू0 20.34 लाख का भुगतान किया गया है, परन्तु वैट रू0 18.86 लाख की कटौती एवं जी.एस.टी. के दर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया गया।

इकाई द्वारा लेबर सेस रू0 525115.00 की अधिक भुगतान किये जाने को स्वीकार किया गया। जबकि जी.एस.टी. के सन्दर्भ में उत्तर दिया कि ठेकदार द्वारा जी.एस.टी. के भुगतान के प्राविधान हेतु कोई उत्तर नही दिया गया। जबकि ठेकेदार द्वारा वैट की धनराशि को घटाने के पश्चात् कुल रू0 32.17 लाख की जी.एस.टी. की कटौती की जानी थी। जबकि ठेकेदार द्वारा 11.82 लाख कम जी.एस.टी. जमा किया गया है।

अतः प्रश्नगत कार्य पर लेबर सेस रू0 5.25 लाख का अधिक भुगतान एवं ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. रू0 11.82 लाख कम जमा किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3: रु. 56.33 लाख की कॉशन मनी गरीब छात्र/छात्राओं को वापस न किया जाना तथा उक्त मद में रु. 5.38 लाख कम जमा किया जाना|

शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष नये एडमिशन के समय सभी छात्र/छात्राओं से सिक्योरिटी फीस के नाम पर कॉशन मनी ली जाती है जिसे सभी छात्र/छात्राओं को संस्थान छोड़ते समय ब्याज सहित वापस किये जाने का प्राविधान है| कॉशन मनी वापस किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की थी|

दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा के अभिलेखों की जाँच में देखा गया की संस्थान में विभिन्न कोर्स हेतु कॉशन मनी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया था|

Sl.No.	Course Name	Caution Money (In Rs.)
1	B.A., B.A.(Social Sc.), B.Com	300/-
2	B.Sc.(Home sc.), B.Sc., B.Sc.(Agri.) B.B.A./B.Voc.,D.El.Ed. M.A., M.A.(Social Sc.), M.Com./M.Voc.	300/-
3	M.Sc., M.Sc.(Home Sc.)	300/-
4	B.F.A., B.Ed., M.Ed. All PG Diploma Courses	500/-
5	B.Tech./B.Arch./B.Tech.(Part Time)	500/-
6	BHMS(First Year/Other Year)	5000/-
7	M.Tech./M.Tech.(Part Time)	1000/-
8	M.B.A. Variants/M.A. Social Science	500/-
9	Diploma in Ayurveda	300/-
10	Diploma in Engineering/Polytechnic	300/-

वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान दयालबाग शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से ली गयी कॉशन मनी का विवरण Balance sheet के schedule 3 – Current Liabilities & Provisions के अनुसार निम्नवत था|

(in Rs.)

Year	OB	वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त caution money	वित्तीय वर्ष में वापस की गयी caution money	CB
2019-20	39,68,468.00	17,38,620.00	7,43,150.00	49,63,938.00
2020-21	49,63,938.00	17,98,300.00	11,29,540.00	56,32,698.00

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में कॉशन मनी मद में रु. 39.68 लाख पहले से रखा था तथा उक्त वर्ष में रु. 17.39 लाख और स्टूडेंट्स से कॉशन मनी मद में लिया गया था| जिसके सापेक्ष मात्र रु. 7.43 लाख स्टूडेंट्स को वापस किया गया था| इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में कॉशन मनी मद में रु. 49.64 लाख पहले से रखा था तथा उक्त वर्ष में रु. 17.98 लाख और स्टूडेंट्स से कॉशन मनी मद में लिया गया था| जिसके सापेक्ष मात्र रु. 11.30 लाख स्टूडेंट्स को वापस किया गया था|

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट था की वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्त में संस्थान के पास छात्र/छात्राओं से सिक्योरिटी फीस के नाम पर लिये गये कॉशन मनी रु. 56.33 लाख को स्टूडेंट्स को वापस नहीं किया गया जिससे गरीब छात्र/छात्राओं को कॉशन मनी तथा उस पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान हो रहा था|

अग्रेतर जाँच में पाया गया की वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कोर्स हेतु उपरोक्त दिये गये दरों के अनुसार रु. 17.39 लाख की कॉशन मनी कुल 4443 छात्र/छात्राओं से ली गयी थी| उपरोक्त दरों में सबसे अधिक दर PHD, MTech तथा BHMS कोर्स की क्रमशः 1000/-, 1000/- तथा 5000/- प्रति स्टूडेंट थी| संस्थान द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में कुल जमा की गयी कॉशन मनी में 203 PHD के स्टूडेंट्स को अलग से जोड़ा गया था क्योंकि संस्थान द्वारा प्राप्त एक अन्य पत्रावली (No. of students enrolled in admission session FY 2019-20) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कोर्स हेतु कुल 4545 छात्र/छात्राओं द्वारा कॉशन मनी जमा की गयी थी जिसमें PHD तथा BHMS कोर्स के छात्र/छात्राओं का विवरण नहीं था| उक्त दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स को जोड़ने के बाद कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 4753 होनी चाहिये थी| वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कोर्स हेतु उपरोक्त दिये गये दरों के अनुसार 4753 छात्र/छात्राओं से कुल रु. 18.28 लाख कॉशन मनी के रूप में प्राप्त होनी चाहिये थी परन्तु संस्थान द्वारा कॉशन मनी मद में रु. 0.89 लाख कम जमा किया गया||

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कोर्स हेतु उपरोक्त दिये गये दरों के अनुसार रु. 17.98 लाख की कॉशन मनी कुल 4257 छात्र/छात्राओं से ली गयी थी| उपरोक्त दरों में सबसे अधिक दर PHD, MTech तथा BHMS कोर्स की क्रमशः 1000/-, 1000/- तथा 5000/-प्रति स्टूडेंट थी| संस्थान द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में कुल जमा की गयी कॉशन मनी में 301 PHD के स्टूडेंट्स को अलग से जोड़ा गया था क्योंकि संस्थान द्वारा प्राप्त एक अन्य पत्रावली (No. of students enrolled in admission session FY 2020-21) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न कोर्स हेतु कुल 5158 छात्र/छात्राओं द्वारा कॉशन मनी जमा की गयी थी जिसमें PHD कोर्स के छात्र/छात्राओं का विवरण नहीं था| उक्त कोर्स के स्टूडेंट्स को जोड़ने के बाद कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 5459 होनी चाहिये थी| वित्तीय

वर्ष 2020-21 में विभिन्न कोर्स हेतु उपरोक्त दिये गये दरों के अनुसार 5459 छात्र/छात्राओं से कुल रु. 22.47 लाख कॉशन मनी के रूप में प्राप्त होनी चाहिये थी परन्तु संस्थान द्वारा कॉशन मनी मद में रु. 4.49 लाख कम जमा किया गया|

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट था की संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में छात्र/छात्राओं से प्राप्त कुल कॉशन मनी रु. 40.75 लाख उक्त मद में जमा न करके मात्र रु. 35.37 लाख जमा किया गया| अर्थात संस्थान द्वारा रु. 5.38 लाख कॉशन मनी Balance sheet में कम दिखाया गया|

अतः रु. 56.33 लाख की कॉशन मनी गरीब छात्र/छात्राओं को वापस न किये जाने तथा उक्त मद में संस्थान द्वारा रु. 5.38 लाख कम जमा किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है|

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4 : निविदा चयन के नियमो के विरुध अधिक लागत पर क्रय किये जाने से फर्म को रु. 5.10 लाख का अनियमित लाभ पहुंचाया जाना|

निविदा नियमों के अनुसार किसी भी कार्य हेतु कई निविदादाताओं में से हमेशा lowest निविदादाता की निविदा स्वीकृत करनी चाहिये जिसमें ये अपेक्षा रहती है की प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ प्राप्त हो सके तथा से कम लागत में item purchase किया जा सके जिससे धन का अपब्यय न हो|

दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा के अभिलेखों की जाँच में देखा गया की मार्च 2020 के दौरान Plant & Machinary मद में Multitech Analytical, New Delhi फर्म से 01 नग Microwave Digestion System Modal Multiwave GO धनराशी रु. 19,53,000.00 में ख़रीदा गया था| उक्त कार्य हेतु दिनांक 25-01-2020 को Purchase/Equipment Committee meeting में निम्न लिमिटेड फर्मों से tender invite किया गया था|

Vendor 1: M/s Panbio Life Science System Pvt. Ltd., Gurgaon.
Vendor 2: M/s Biogenix System, New Delhi.
Vendor 3: Labindia Analytical Instruments Pvt. Ltd., New Delhi.
Vendor 4: M/s Multitech Analytical, New Delhi.
Vendor 5: M/s B S Group, New Delhi.

उक्त item के क्रय किये जाने हेतु Comparative statement of quotations के अनुसार vendor 3: Labindia Analytical Instruments द्वारा without GST रु. 13,50,000.00 का rate लगाया गया था तथा Vendor 4: M/s Multitech Analytical द्वारा without GST रु. 18,60,000.00 का rate लगाया गया था| उक्त Comparative statement के अनुसार L1 vendor no. 3 था परन्तु संस्थान द्वारा उक्त item का क्रय L2 vendor no 4 से किया गया|

Comparative statement में Remarks & Justification में बताया गया की वर्ष 2015 में Labindia Analytical Instruments से Equipment क्रय किया गया था परन्तु उक्त फर्म द्वारा दिये गये Equipment की quality तथा service सही नहीं थी अतः L2 vendor: M/s Multitech Analytical से item क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था|

निविदा नियमों का उल्लघंन कर L 2 टेन्डर को L 1 के सापेक्ष रु. 5,10,000.00 की अधिक दर पर क्रय किये जाने हेतु दी गयी स्वीकृति के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया की वर्ष 2015 में L1 फर्म से इक्विपमेंट क्रय किया गया था परन्तु इक्विपमेंट की गुणवत्ता एवं सर्विस ठीक न होने के कारण उसे कमेटी द्वारा अयोग्य घोषित कर L2 से क्रय किया गया|

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मात्र इस कारण से L 1 की निविदा स्वीकृत न किया जाना की पांच वर्ष पूर्व product की quality तथा service सही नहीं थी, निविदा नियमों का उल्लघंन है जिसमें ये अपेक्षा रहती है की प्रतिस्पर्धी दरों से कम लागत में item purchase किया जा सके जिससे धन का अपब्यय न हो| यदि उक्त फर्म की कार्यप्रणाली सही नहीं थी तो संस्थान द्वारा उक्त फर्म को निविदा आमंत्रण हेतु चयन ही क्यों किया गया तथा उक्त item के purchase हेतु सभी निविदादाताओं को वित्तीय स्वीकृति के पूर्व तकनिकी स्वीकृत प्रदान किये जाने समय उक्त L 1 की निविदा को अस्वीकृत क्यों नहीं किया गया तथा जब L 2 की दर अधिक थी और उस फर्म से कार्य कराया जाना स्वीकृत किया गया था तब उस फर्म से उक्त कार्य को L 1 की दरों पर कार्य किये जाने हेतु नेगोसिअट क्यों नहीं किया गया के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया|

अतः विभाग द्वारा निविदा चयन के नियमो के विरुध अधिक लागत पर क्रय किये जाने से फर्म को रु. 5.10 लाख का अनियमित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है|

भाग–2 (ब)

प्रस्तर–5 : अनुदानदाता एजेंसियों/विभागों से प्राप्त अनुदान की धनराशि से अधिक धनराशि व्यय किया जाना – रू0 762.15 लाख

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई के तुलनपत्र वर्ष 2020–21 में Loans Advances and Deposits मद के शिड्यूल–8 में Other Current Assets के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशियॉ ऋणात्मक अवशेषों के साथ प्रदर्शित की जा रही थीं अर्थात :उक्त धनराशियॉ व्यय की जा चुकी हैं, परन्तु अनुदानदाता एजेन्सियों/विभागों से वर्षान्त तक संस्थान को प्राप्त नहीं हुई थीं। विवरण निम्नवत है:

Sl. No.	Items	Amount
1	Debit Balances in Sponsered Projects	26837916.41
2	Debit Balances in Sponsered Fellowships and Scholarships	221528.45
3	Grants Receivables/ DDU	30705253.05
4	Grants Receivables/UGC Non-Salary	16395118.66
5	Grants Receivables/ NSS	2054790.70
		76214607.27

स्पष्ट है कि उक्त धनराशियों के प्राप्त न होने से संस्थान के शोध एवं अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित होते है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि सम्बन्धित एजेन्सियों/संस्थानों को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषित करके अधिक व्यय की गयी धनराशि की मांग उनसे की गयी है। शोधकार्य आदि प्रभावित न हो, इसके लिए बैंक लोन द्वारा/संस्थान द्वारा स्वयं के स्रोतों से धनराशियॉ उपलब्ध करा दी गयी थी।

सम्प्रेक्षा में उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उक्त अधिक व्यय की गयी धनराशियों को उनसे सम्बन्धित अनुदानदाता एजेंसियों से अतिशीघ्र प्राप्त किए जाने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा न किए जाने से बैंक लोन के सापेक्ष अनावश्यक रूप से व्याज की देयता बनती है तथा धनाभाव में संस्थान के अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते है।

अतः अनुदाता एजेंसियों/विभागों से प्राप्त अनुदान की धनराशि से रू0 762.15 लाख की अधिक धनराशि व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर–6 : अनियमित क्रय – रू0 12.22 लाख

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा में बैट्रियों का क्रय किए जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा 11.10.2019 को आमंत्रित की गयी। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 21.10.2019 निर्धारित की गयी थी। उक्त निविदा को 26.10.2019 को खोला गया। एकल निविदा होने के बावजूद Exsole Energy Systems Pvt. Ltd. की निविदा को स्वीकार कर लिया गया तथा उससे रू0 12.22 लाख मूल्य की 120 बैट्रियॉ क्रय की गयीं। बाई बैक पालिसी के अन्तर्गत पुरानी बैट्रियों के मूल्य रू0 5.59 लाख को समायोजित करते हुए फर्म को रू0 6.63 लाख का भुगतान दिनांक 02 मार्च 2020 को कर दिया गया।

स्पष्ट है कि निविदा जमा करने हेतु जहॉ एक ओर मात्र 10 दिन का समय उपलब्ध कराया गया, वहीं दूसरी ओर पोर्टल पर एकल निविदा प्रदर्शित होने के बावजूद निविदा के समय में बढोत्तरी नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, खोलने पर एकल निविदा होने के बावजूद उसे निरस्त करके पुनः निविदा आमंत्रित नहीं की गयी। इस प्रकार, रू0 12.22 लाख के अनियमित क्रय का सम्पादन किया गया, जो क्रय नियमों के प्रतिकूल था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि संस्थान की आवश्यकतानुसार क्रय किया गया।

सम्प्रेक्षा में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त क्रय सम्पादन में क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। साथ ही, पत्रावली में क्रय की अति आवश्यकता (अर्जेन्सी) सम्बन्धी अभ्युक्ति भी कहीं अंकित नहीं की गयी थी। प्रद

अतः रू0 12.22 लाख के अनियमित क्रय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 7 : वित्तीय नियमों के विरुध सहकारी बैंकों में रु. 1870.95 लाख रखा जाना|

शासकीय नियमों के अनुसार राजकीय/पब्लिक धनराशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में रखी जानी चाहिए। सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) में नहीं रखा जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके|

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2020–21 के तुलन पत्र के अवलोकन में पाया गया कि निम्नाकिंत विवरण के अनुसार सहकारी बैंक के सेविंग एकाउंट में अन्तिम अवशेष के रूप में धनराशि प्रदर्शित की जा रही है–

धनराशि रू0 में

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	अवशेष राशि
1	Mahila Bank	000300066301	20186.00
2	New Agra Bank	000300005101	1477582.78
3	R S URBAN CO-OP BANK	000300004001	4099060.14
4	R S URBAN CO-OP BANK	000300008601	2478980.44
5	R S URBAN CO-OP BANK	000300007401	190407.04
6	R S URBAN CO-OP BANK	000300010201	12497154.46
7	R S URBAN CO-OP BANK	000300014601	9276853.91
8	R S URBAN CO-OP BANK	000300012501	310561.69
9	R S URBAN CO-OP BANK	000300010901	71340090.40
10	R S URBAN CO-OP BANK	000300009201	75934475.45
11	R S URBAN CO-OP BANK	000300012601	6842114.95
12	R S URBAN CO-OP BANK	000300005001	66402.35
13	R S URBAN CO-OP BANK	000300017101	640528.00
14	R S URBAN CO-OP BANK	000300017201	640528.00
15	R S URBAN CO-OP BANK	000300017301	640529.00
16	R S URBAN CO-OP BANK	000101017401	640528.00
			187095982.61

उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा वित्तीय नियमों के विरुध धनराशी रु. 1870.95 लाख को सार्वजनिक बैंक में रखने के स्थान पर सहकारी बैंकों में जमा किया गया| उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया की R S Urban Bank संस्थान का principal banker रहा है| पिछले कई वर्षों से बैंक का NPA शून्य है| इस बैंक का RBI द्वारा हर दो वर्षो में निरिक्षण किया जाता है तथा इस बैंक के संस्थान के सबसे पास होने के कारण लेन-देन सुगमता से किया जा सकता है| पिछले तीन वर्षों में संस्थान ने सार्वजनिक बैंकों में ही एकाउंट खोले है|

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में वित्तीय नियमों के विरुध सार्वजनिक बैंकों के स्थान पर सहकारी बैंकों में एकाउंट नहीं खोला जाना चाहिये। जिसके कारण राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः वित्तीय नियमों के विरुध सहकारी बैंकों में रु. 1870.95 लाख की धनराशी के रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 8 : निविदा चयन के नियमो के विरुध सिंगल टेण्डर के माध्यम से रु. 12.45 लाख की सामग्री क्रय किया जाना।

निविदा नियमों के अनुसार किसी भी सामग्री के क्रय हेतु जिसका मूल्य 1.00 लाख या उससे अधिक हो, न्यूनतम तीन निविदादाताओं का होना आवश्यक है। उन तीन निविदाओं में से हमेशा lowest निविदादाता की निविदा स्वीकृत करनी चाहिये। किसी भी स्थिति में सिंगल टेण्डर नहीं किया जाना चाहिये जिसमें ये अपेक्षा रहती है की प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ प्राप्त हो सके तथा से कम लागत में item purchase किया जा सके जिससे धन का अपव्यय न हो।

दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा के अभिलेखों की जाँच में देखा गया की वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्थान द्वारा प्रस्तुत Computer Peripherals से सम्बन्धित वोउचर्स में सितम्बर 2019 को Computer Peripherals मद में NETIP Technologies, New Delhi फर्म से 10 नग outdoor Acess Point Air-AP1562E-D-K9 धनराशी रु. 6,30,000.00 में ख़रीदा गया था तथा की अक्टूबर 2019 को Computer Peripherals मद में Ceasefire Industries Pvt. Ltd., Agra फर्म से 01 नग Smoke Sensor with Fire Alarm HFC 227 ea Fire Suppression System धनराशी रु. 6,15,236.00 में ख़रीदा गया था। उक्त दोनों सामग्री सिंगल टेण्डर के माध्यम से purchase की गयी थी। जबकि उक्त दोनों सामग्री इस प्रकार की नहीं थी की मात्र उनका निर्माण अथवा सेल उन्ही फर्म द्वरा किया जा रहा था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया की उपरोक्त सामग्री Proprietary Article certificate द्वारा क्रय की गयी है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगर उक्त सामग्री का क्रय सिंगल टेण्डर के स्थान पर multipal tender के द्वारा किया गया होता तो उक्त सामग्री के क्रय किये जाने में प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ प्राप्त हो सकता था तथा धन का अपव्यय होने से बचा जा सकता था।

अतः निविदा चयन के नियमो के विरुध सिंगल टेण्डर के माध्यम से रु. 12.45 लाख की सामग्री क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–2(ब)

प्रस्तर– 9 : आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव

किसी भी कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं वित्तीय अनियमितताओं को रोकने हेतु आन्तरिक नियंत्रण का प्रभावी होना अति आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक अभिलेखों का समुचित ढंग से रख–रखाव किया जाना चाहिए तथा नियमित रूप से सुसंगत प्रविष्टियों को उनमें दर्ज किया जाना चाहिए। महालेखाकार उ0प्र0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या समयानुसार प्रेषित किया जाना, भुगतान करते समय सुसंगत आवश्यक वित्तीय नियमों का पालन किया जाना तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण/सत्यापन मानक के अनुसार किया जाना भी नितान्त आवश्यक होता है।

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए, जो इकाई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव को प्रकट करते हैं:–

1. यू0 पी0 स्टेट सैलरी मद में अधिक जमा की गयी जी0 पी0 एफ0 की धनराशि रू0 5050.00 का समायोजन किया जाना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

2. मल्टीपरपज जिम्नेजियम हेतु यू0 जी0 सी0 द्वारा स्वीकृत रू0 100.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 10.00 लाख इकाई द्वारा प्राप्त किया जाना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

3. वर्ष 2019–20 में Organising exhibition (Handicraft) हेतु रू0 450000.00 की धनराशि का ऋण लिया गया था। इसमें से रू0 1,68,678.00 की धनराशि का व्यय शिड्यूल– 3(a) के अनुसार किया गया है। अवशेष रू0 2,81,322.00 की धनराशि का ऋण बैंक को वापस किया जाना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

4. न्यू एजेन्सीज ए जी को रू0 191648.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 से निर्गत किया जाना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

5. M/s CCS Computers Pvt. Ltd द्वारा Deportment of Physics & Computer Science के लिए DGX-1 Server (Proprietary item by NVIDIA) का कय दिनांक 30.09.2019 को रू0 9242625.00 में कय किया गया था। कय किये जाते समय फर्म से न ही दर कम किये जाने हेतु निगोशिएशन किया गया और न ही फर्म से UP Procurment Manual के Fall Clause को ही सम्मिलित किया गया कि यदि फर्म द्वारा किसी संस्थान सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थान में कम दर पर जॉच किये जाने अथवा जॉच दर कम किये जाने की स्थिति में संस्थान को लाभ प्राप्त हो सके एवं As per GFR Rules, संस्थान द्वारा M/s Agilent Technology द्वारा Deportment of Botany के लिए Microwave Plasma Atomic emission

spectrometer (equipment) का कय दिनांक 05.03.2021 को रू0 24,78,411.00 में लिमिटेड टेण्डर द्वारा कय किया गया था। अतः फर्मो से निगोशिएशन नही किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।।

6. यू.जी.सी द्वारा इस संस्थान में कोई भी आन्तरिक लेखापरीक्षक की स्थापना नही किया गया है। अतः उक्त के सन्दर्भ में कोई प्रतिवेदन निर्गत नही किया गया था। यू.जी.सी. से स्वीकृति प्राप्त होने पर आन्तरिक लेखापरीक्षक प्रकोष्ठ को पूर्णकालिक किया जाना आपेक्षित रहेगा।

7. कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 1. श्री अशोक कुमार, चपरासी 2. श्री राम प्रसाद, माली 3. श्री गुरूशरण प्रसाद, चपरासी 4. श्री गुरूप्रसाद, लैबबियरर 5. श्री ज्ञान स्वरूप , लैबबियरर 6. श्री मनोज कुमार, चपरासी 7. श्री राकेश कुमार, लैब बियरर 8. श्री प्रदीप कुमार, चपरीसी तथा 9. श्री रामदास, चपरासी के जी. पी.एफ. पासबुक की जॉच में पाया गया कि जिसमें प्रविष्ठि दर्ज नही किया था तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया था। लेखापरीक्षा में टिप्पणी किये जाने पर प्रविष्ठिया दर्ज कर लिया गया परन्तु जिसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित किया जाना अपेक्षित रहेगा।

8. कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 1. श्री प्रेमपाल सिंह, सर्विलांस असिसटेन्ट 2. श्री प्रेम शरण शाह, चपरासी 3. श्री मंजेश कुमार, लैब बियरर 4. श्रीमती आभा पाण्डेय, चपरासी 5. श्री प्रेमदयाल, चपरासी 6. श्री विनोद चन्द्रा, फर्राश 7. श्री विशाल शर्मा, लैबबियरर 8. श्री विजय कुमार, चपरासी 9. श्री विरेन्द्र कुमार चपरासी, 10 श्री सोनु कुमार सूरज, लैबबियरर 11. श्री उमांशकर, हार्टिकल्चर अटेन्डेन्ट 12. श्री परमबीर सिंह यादव, सर्विलांस असिसटेन्ट 13. श्री प्रकाश भारती, सर्विलांस असिसटेन्ट एवं 14 श्री रामप्रसाद, माली की सेवा पुस्तिकाओं फोटो चस्पा किया जाना एवं नामिनेशन फार्म का वेरिफिकेशन किया जाना अगली लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

9. कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों 1. श्री गुरूशरण, जूनियर असिसटेन्ट 2. श्री गुरू कृपा, जूनियर असिसटेन्ट 3. श्री आलोक कुमार कुमरे, मैकेनिक ग्रेड–बी 4. श्री अभिशेक शर्मा, असिसटेन्ट ड्राफ्टमैन 5. श्री आनन्द शरण, मैकेनिक ग्रेड–बी तथा 6. श्री अरबिन्द जैसवाल, स्टेनो की सेवा पुस्तिकाओ में फोटो चस्पा किया जाना आपेक्षित रहेगा एवं 1. श्री गामा सिंह यादव, फर्राश एवं 2. श्री शाहब सिंग कौशल, लैबरोरेटरी असिस्टेन्ट की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि दर्ज किया जाना एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापन किया जाना अपेक्षित रहेगा।

10. बचत की धनराशि रू0 403.75 लाख की धनराशि का समय से शासन को समर्पित नही किया जाना।

As per Uttar Pradesh Budget Manual, Para-140: Every controlling officer must furnish the final statement of excesses and savings in Form B.M. 2 (Part - II) which should reach the Finance Department, through the Administrative Department concerned, not later than 25th January. Where a Secretary to

Government is the controlling officer, the statement should reach the Finance Department by 15th January. The disbursing officers or district level officers should prepare the aforesaid statements on the basis of expenditure up to December and furnish to controlling officer latest by January 5. These statements should be prepared with utmost care, as inaccurate statements may lead to uncovered excess expenditure or unsurrendered savings both of which constitute a financial irregularity – the former a more serious irregularity.

कार्यालय वित्त नियंत्रक/कोषाध्यक्ष, दयालबाद शिक्षण संस्थान (डिम्ड वि0वि0) दयालबाग, आगरा के बजट पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के वेतन भत्तों एवं एन.पी.एस. नियोक्ता अंशदान के भुगतान हेतु प्राप्त बजट को व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2021 को अभ्यर्पण किया गया था। विवरण निम्नानुसार है–

क0 सं0	इकाई का नाम	आवंटित बजट	व्यय बजट	अभ्यर्पित बजट
1	दयालबाद डीम्ड वि0वि0	149798000	122558488	27239512
2	इंजीनियरिंग संकाय	81811000	69193420	12617580
3	प्राविधिक शिक्षा संकाय	55349000	55349000	00
4	गर्ल्स इन्टरमीडियेट कालेज	20000000	19502156	497844
5	आर.ई आई. इण्डर कालेज	20000000	20000000	00
6	एन.पी.एस. नियोक्ता अंशदान	14393690	14373070	20620
	योग	**341351690**	**300976134**	**40375556**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि शासन को अवगत करा दिया गया था।

सम्प्रेक्षा को उत्तर मान्य नही है क्योकि शासन को बचत की समर्पित धनराशि दिनांक 31.03.2021 का समर्पित किया गया था, जबकि उपरोक्त धनराशि को पहले ही समर्पित किया जाना चाहिए था।

अतः बचत की धनराशि रू0 403.75 लाख को समय से समर्पित नही किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–1) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नवत थी:–

क. सं0	वर्ष / प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर भाग–दो	
		(अ)	(ब)
1	02 / 2008–09	1,2	1
2	06 / 2009–10	–	1,2,3
3	15 / 2010–11	–	1
4	18 / 2012–13	––	1,2,3,4STAN-1
5	43 / 2013–14	1,2,3,4,5	1 to 10 STAN-1,2,3
6	124 / 2014–15	1,2,3,4	1 to 12 &STAN-1,2,3,4,5,6 STAN-1,2,3,4
7	124 / 2016–17	1	1,2,3
8	42 / 2019–20	–	1, 2, 3, 4

Part –IV

Good Practices

Nil

Part –V

The office acknowledges the co-ordination extended to the audit team by the Finace Controller Dayalbagh education Institute Dayalbagh Agra and their staff.

स. ग्रोवर 28/03/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए0एम0जी0–2 / सम्पादन–1